

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. (40)अकाद/निकाशि/2013-14/853

दिनांक: 18-07-2013

समस्त प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान


विषय: सत्र 2013-14 में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में सीटे बढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में लम्बित प्रवेश आवेदनों हेतु सत्र 2013-14 में स्नातक पाठ्यक्रम के सभी संकायों में आवश्यकतानुसार प्रथम वर्ष में स्वीकृत वर्ग में अधिकतम 20 तक सीटें बढ़ाने की अनुमति दी जाती है एवं इस हेतु स्नातक स्तर पर प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि 31.7.13 निर्धारित की जाती है। तीनों संकायों के स्वीकृत वर्गों में निम्नानुसार प्रवेश दिये जा सकेंगे: -

संकाय	नियत सीटें प्रति वर्ग	सत्र 2013-2014 के लिये संशोधित सीटें प्रति वर्ग
विज्ञान	70	90
कला	80	100
वाणिज्य	80	100

उपरोक्त प्रक्रिया के समय प्रवेश नीति 2013-14 के नियमों की पालना सुनिश्चित करें।  
इस हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करली गई है।

  
(जय सिंह)  
निदेशक

क्रमांक: एफ. (40)अकाद/निकाशि/2013-14/854-864

दिनांक: 18-07-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु: -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. कुलसचिव, विश्वविद्यालय, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर
5. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा, जयपुर
6. श्री वनफूल अग्रवाल, ए.सी.पी., कॉलेज शिक्षा, जयपुर
7. रक्षित पत्रावली

  
(आर.एस. मक्कड़)  
अतिरिक्त निदेशक